



प्रसार भारती/Prasar Bharati  
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan  
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg  
नई दिल्ली/New Delhi-110001



फा.फ.सं.No.904/51/2015-16-एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/ दिनांक/Date 06/10/2016  
10

### कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

**Sub: दूरदर्शन के विज्ञापन सेवा विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामंकन हेतु/Declaration of CPIO & FAA for DCS Div.**

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत विज्ञापन सेवा विभाग के सूचना का अधिकार सम्बंधित सभी मामलों के लिये श्री आर. बंसल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं श्री एस. ए. त्रिपाठी, उपमहानिदेशक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

The Competent Authority, DG:DD, has accorded its approval to designate Shri R. Bansal, Senior Administrative Officer as Central Public Information Officer under Section 5(1) of Right to Information Act, 2005 and Shri S. A. Tripathi, Deputy Director General as First Appellate Authority under Section 19(1) of Right to Information Act, 2005, in respect of all RTI matters pertaining to DCS Division of Doordarshan.

*Vimala*  
(विमला विक्रम/Vimala Vikram)

उपनिदेशक (प्रशा.)/Deputy Director (Admn.) & RTI

सेवा मे/To

1. श्री आर. बंसल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, विज्ञापन सेवा विभाग/Shri R. Bansal, Sr. Administrative Officer & CPIO, DCS Div., DG:DD;
2. श्री एस. ए. त्रिपाठी, उपमहानिदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, विज्ञापन सेवा विभाग/Shri S. A. Tripathi, Deputy Director General & FAA, DCS Division, DG:DD;

प्रतिलिपि/copy to :

1. अपर महानिदेशक, विज्ञापन सेवा विभाग/ ADG (P), DCS Div., DG:DD
2. आई. टी सेल से अनुरोध कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को डी.डी.इंडिया वेबसाइट के आर.टी.आई. वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु अपलोड कर दें/ IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of www.ddindia.gov.in for information of all concerned.

*Vimala*  
(विमला विक्रम/Vimala Vikram)

उपनिदेशक (प्रशा.)/Deputy Director (Admn.) & RTI



प्रसार भारती/Prasar Bharati  
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan  
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg  
नई दिल्ली/New Delhi-110001



फा.फ.सं.No.904/51/2015-16-एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/ दिनांक/Date 06/10/2016  
10

### कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

**Sub: दूरदर्शन के फिल्म अनुभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामंकन हेतु/Declaration of CPIO & FAA for Film Section.**

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत फिल्म अनुभाग के सूचना का अधिकार सम्बंधित सभी मामलों के लिये श्री पी. के. वेनुगोपाल, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं श्रीमती रुचि अग्रवाल, उपमहानिदेशक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

The Competent Authority, DG:DD, has accorded its approval to designate Shri P. K. Venugopal, Assistant Director (Programme) as Central Public Information Officer under Section 5(1) of Right to Information Act, 2005 and Smt. Ruchi Aggarwal, Deputy Director General as First Appellate Authority under Section 19(1) of Right to Information Act, 2005, in respect of all RTI matters pertaining to Film Section of Doordarshan.

*Vimala*  
(विमला विक्रम/Vimala Vikram)

उपनिदेशक (प्रशा.)/Deputy Director (Admn.) & RTI

सेवा मे/To

1. श्री पी. के. वेनुगोपाल, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, फिल्म अनुभाग/Shri P. K. Venugopal, Assistant Director (Programme) & CPIO, Film Section, DG:DD;
2. श्रीमती रुचि अग्रवाल, उपमहानिदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, फिल्म अनुभाग/ Smt. Ruchi Aggarwal, Deputy Director General & FAA Film Section, DG:DD;

प्रतिलिपि/copy to :

1. अपर महानिदेशक, फिल्म अनुभाग / ADG (P), Film Section, DG:DD
2. आई. टी सेल से अनुरोध कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को डी.डी.इंडिया वेबसाइट के आर.टी.आई. वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु अपलोड कर दें/ IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of www.ddindia.gov.in for information of all concerned.

*Vimala*  
(विमला विक्रम/Vimala Vikram)

उपनिदेशक (प्रशा.)/Deputy Director (Admn.) & RTI

